राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984
(23 मई 2018 तक के संशोधनों को शामिल करते हुए)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक बोर्ड, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित विनियम निर्धारित करता है:-

अध्याय-I

परिचयात्मक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1. (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 कहा जाएगा. 2. ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे.

परिभाषाएं	2. इन नियमों में जब तक प्रसंगानुसार अन्यथा अपेक्षित न हो- क. 'अधिनियम' का अर्थ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) होगा; ख. "सलाहकार परिषद" का अर्थ धारा 14 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित सलाहकार परिषद होगा; ग. "कार्यकारी समिति" का अर्थ धारा 13 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित "कार्यकारी समिति" होगा; घ. "धारा" का अर्थ अधिनियम की धारा से होगा; ङ. इस विनियम में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है, उनका वही अर्थ समझा जाएगा जो उनके संबंध में अधिनियम में दिया गया है.

अध्याय II

कार्यकारी समिति और उसकी बैठकें

कार्यकारी समिति के निदेशकों की संख्या और उनके कार्य	3. (1) कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष द्वारा नामित निम्नलिखित अन्य निदेशक होंगे---- क. धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रत्येक खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ.) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों में से एक निदेशक और

	ख. (धारा 6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों में से, यदि कोई हो, तो प्रत्येक से एक)[3] 3.(2) राष्ट्रीय बैंक का सामान्य कारोबार चलाने के लिये बोर्ड की समस्त शक्तियों, अधिनियम द्वारा बोर्ड के लिए विशेष रूप से प्रारक्षित मामलों से संबंधित शक्तियों को छोड़कर, इन विनियमों के प्रावधानों और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले विशेष या सामान्य निदेशों के अधीन कार्यकारी समिति में विहित होंगी.

कार्यकारी समिति की बैठक	4.(1) [अध्यक्ष (अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक)[1] ऐसी तारीख और समय पर जिसे वे निर्धारित करें, कार्यकारी समिति की मुम्बई में बैठक बुला सकते हैं और कार्यकारी समिति के सदस्यों को कम से कम दस दिन की स्पष्ट सूचना दी जाएगी ताकि वे बैठक में भाग ले सकें. परंतु, यदि अध्यक्ष (अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक)[1] आवश्यक समझते हों तो, कार्यकारी समिति की बैठक भारत के किसी भी अन्य स्थान पर बुलायी जा सकती है.परंतु साथ ही यह कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम चार बैठकें होगी][4] 4.(2) जहा अध्यक्ष (अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक)[1] कार्यकारी समिति की आपात बैठक बुलाना आवश्यक समझते हैं तो उस स्थिति में कार्यकारी समिति के सदस्यों को कम से कम पांच दिन की स्पष्ट सूचना दी जाएगी ताकि वे बैठक में भाग ले सकें.

बैठक की अध्यक्षता	4.(3) [किसी कारण से अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक और दोनों के अनुपस्थिति होने की स्थिति में कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने स्थान पर नामित कोई अन्य सदस्य अथवा ऐसे नामित सदस्य की अनुपस्थिति में बैठक में शामिल सदस्यों द्वारा चुने गये कार्यकारी समिति का कोई अन्य सदस्य उस समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा.][2]

गणपूर्ति	4. (4) कार्यकारी समिति के तीन सदस्यों से जिनमें से एक को धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) अथवा खंड (इ) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक होना चाहिए, बैठकों की गणपूर्ति होगी. 4.(5) अर्थात् जब तक नियमों में अन्यथा कुछ हो अधिनियम के प्रावधान और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली 1982, जब तक संभव होगा कार्यकारी समिति की बैठकों के लिये भी उसी तरह लागू होंगी जिस तरह वे बोर्ड की बैठकों के लिए लागू होती हैं.

बैठकों की कार्यवाही	4.(6) कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा उस बैठक में या उत्तरावर्ती बैठक में हस्ताक्षरित हो जाने के बाद बोर्ड-निदेशकों को सूचनार्थ प्रसारित की जाएगी.

अध्याय III

सलाहकारी परिषद की बैठकें

सलाहकार परिषद की बैठकें	5.(1) अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक ऐसी तारीख और ऐसे समय पर जिसे वे निर्धारित करें, सलाहकार परिषद की बैठक राष्ट्रीय बैंक के प्रधान कार्यालय में सामान्यतः 6 माह में एक बार बुला सकते हैं (अथवा भारत में किसी अन्य स्थान पर)[1]और सलाहकार परिषद के सदस्यों को कम से कम 15 दिन की स्पष्ट सूचना दी जाएगी ताकि वे बैठक में उपस्थित हो सकें.

बैठक की अध्यक्षता	5.(2) (किसी कारण से अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक और दोनों के अनुपस्थि होने की स्थिति में, सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा अपने स्थान पर नामित कोई अन्य सदस्य अथवा ऐसे नामित सदस्य की अनुपस्थिति में बैठक में सलाहकार परिषद, के उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गये कोई अन्य सदस्य सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा)[2]

बैठक (गणपूर्ति)	5.(3)सलाहकार परिषद के एक तिहाई सदस्य (अंश उपेक्षनीय) या उसके पांच सदस्य जो भी कम हो, परिषद की बैठक की गणपूर्ति करेंगे.

सलाहकार परिषद के सदस्यों की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क व भत्ते	6.(1) अध्यक्ष और किसी अन्य निदेशक से भिन्न, सलाहकार परिषद के प्रत्येक ऐसे सदस्य को जो रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी कानून द्वारा या उसके अधीन स्थापित या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय का कोई अधिकारी नहीं है, सलाहकार परिषद की प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें वह उपस्थित होता है, एक हजार रुपये या ऐसी उच्चतर रकम की फीस मिलेगी जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा नियत की जाए और यात्रा और ठहरने के व्यय की, यदि कोई हो, ऐसी दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी जो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें. 6.(2) सलाहकार परिषद के सदस्य जो निदेशक है (प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) बोर्ड की बैठक में सम्मिलित होने पर ऐसे शुल्क एवं भत्ते प्राप्त करेंगे जो बोर्ड (की समिति)[1] की बैठकों में शामिल होने से ग्राह्य होते हैं.

	6.(3) (सलाहकार परिषद का कोई सदस्य, जो सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय का अधिकारी हैं, ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो उसे बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञेय हैं.)[2]

अध्याय IV

सामान्य प्रावधान

लेखा	7. बोर्ड राष्ट्रीय बैंक द्वारा रखी जाने वाली आस्तियों, देयताओं, प्राप्तियों और भुगतान के संबंध में लेखा रखने की व्यवस्था करवायेगा.

वार्षिक लेखा	8. राष्ट्रीय बैंक का वार्षिक लेखा तैयार किया जाएगा तथा वह निम्नलिखित रूप में होगा- 8.(1) इसके साथ संलग्न अनुसूची “क” में निर्धारित फार्म में या उसके समनुरूप जैसी भी स्थिति हो, वर्ष का 31 मार्च का तुलन-पत्र; 8.(2) संदर्भानुसार, संलग्न अनुसूची “ख” या उससे मिलते-जुलते प्रकार के प्रारूप में विनिर्दिष्ट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा. अनुसूची “क” (तुलन पत्र का प्रारूप) अनुसूची “ख” (लाभ हानि लेखा का प्रारूप)

मूल विनियम 23 फरवरी 1985 के भारत के राजपत्र संख्या 8 में प्रकाशित किये गये (भाग-II, खंड 3- उप खंड ii) (6 फरवरी 1985 के का.आ. संख्या 740 के माध्यम से)

[1] 8 नवम्बर 2008 से 14 नवम्बर 2008 के भारत के राजपत्र संख्या 45 के माध्यम से संशोधन द्वारा अंतःस्थापित (भाग III खंड 4) 8 नवम्बर 2008 से प्रभावी

[2] भारत के राजपत्र में 8 नवम्बर से 14 नवम्बर 2008 की अधिसूचना संख्या 45 के माध्यम से संशोधन प्रतिस्थापित (भाग- III- खंड 4) 8 नवम्बर 2008 से प्रभावी

[3] भारत के राजपत्र में 18 से 24 अक्तूबर 2015 की अधिसूचना संख्या 43 के माध्यम से संशोधनों द्वारा प्रतिस्थापित [भाग-II, खंड 3 उप खंड (ii)] 24 अक्तूबर 2015 से प्रभावी

[4]भारत के राजपत्र में 23 मई 2018 की अधिसूचना संख्या 193 के माध्यम से संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित (भाग- III- खंड-4)

अनुसूची अ

{विनियम 8(1) देखें}

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

तुलन पत्र - 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

	देयताएं	**रु.**	**रु.**	**गत वर्ष रु.**
1	पूंजी			
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित : (i) प्रारक्षित निधि (ii) अनुसंधान एवं विकास निधि (iii) अन्य प्रारक्षित (iv) लाभ और हानि खाता			
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि			
4	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि			
5	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां			
6	जमाराशियां (i) केन्द्र सरकार (ii) राज्य सरकार (iii) अन्य			
7	बॉन्ड और डिबेंचर			
8	उधार : (i) केन्द्र सरकार से (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक से (iii) अन्य से (क) भारत में (ख) भारत से बाहर			
9	चालू देयताएं और प्रावधान :			

तुलन पत्र - 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

	आस्तियां	रु.	रु.	गत वर्ष रु.
1	नकदी और बैंक शेष (i) नकद (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास (iii) अन्यों के पास (क) भारत में (ख) भारत से बाहर			
2	निवेश अ. केंद्र सरकार के वचन-पत्र, स्टॉक्स और प्रतिभूतियां - लागत पर (अंकित मूल्य और बाजार मूल्यों को विनिर्दिष्ट करें) आ. अधिसूचित संस्थाओं के शेयर और प्रतिभूतियां - लागत पर (अंकित मूल्य और बाजार मूल्यों को विनिर्दिष्ट करें)			
3	अग्रिम अ. पुनर्वित्त ऋण (i) उत्पादन और विपणन ऋण (ii) उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण (iii) कारीगरों, लघु उद्योगों, आदि के ऋणों का पुन:अनुसूचीकरण (iv) मध्यावधि निवेश ऋण - गैर-परियोजना ऋण (v) अन्य निवेश ऋण (1) मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (2) दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण आ. प्रत्यक्ष ऋण			
4	परिसर लागत पर वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं : मूल्यह्रास			
5	फर्नीचर और फिक्सचर लागत पर वर्ष के दौरान वृद्धि घटाएं : मूल्यह्रास			
6	अन्य आस्तियां : (1) उपचित ब्याज			

	(2) बांडों और डिबेंचर के निर्गम पर छूट (समायोजित करने योग्य) (3) जमाराशियां (4) विविध उधारकर्ता (5) वसूली योग्य खर्चे			
7	लाभ और हानि खाता			

अनुसूची 8

(विनियम 8(2) देखें)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

		रु.	**रु.**	**गत वर्ष रु.**
1	अदा किया गया ब्याज			
2	वेतन और भत्ते			
3	कर्मचारी अधिवर्षता निधियों में अंशदान			
4	निदेशकों और अन्य समिति सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा एवं अन्य भत्ते			
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस			
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि			
7	यात्रा व्यय			
8	मुद्रण और लेखन सामग्री			
9	डाक, तार एवं टेलीफोन			
10	मरम्मत			
11	लेखापरीक्षकों की फीस			
12	विधिक प्रभार			
13	विविध व्यय			
14	मूल्यह्रास			
15	तुलन पत्र में ले जाया गया लाभ			
	जोड़			

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

		रु.	**रु.**	**गत वर्ष रु.**
1	ब्याज (प्राप्त)			
2	बट्टा और कमीशन			
3	अन्य प्राप्तियां			
4	हानि, यदि कोई हो			
	जोड़			